रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-964/2025/143/22-2-2024-17(785)/2023

लखनऊ : दिनांक: 01 अगस्त, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ग) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2024) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी गुरूमेल सिंह (कैदी संख्या-49640) पुत्र श्री ठाकुर सिंह, निवासी धुरिया, थाना-विलासपुर, जनपद-रामपुर, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-167/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 324/149, 323/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-03, रामपुर के आदेश दिनांक 10.06.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.08.2014 द्वारा एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 17.10.2022 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2024 तक 09 वर्ष, 00 माह, 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष, 08 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-964/2025/143(1)/22-2-2024 एवं तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
5- पुलिस अधीक्षक, रामपुर।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली
7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in